न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 42/2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री मुस्तकीम पुत्र श्री नईम अहमद जाति कसाई, निवासी नेहरू नगर बाड़मेर शहर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.12.2022 को श्री सुरेश विश्नोई, प्रवर्त्तन निरीक्षक बाड़मेर हमराह खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा एवं श्री दीपक कुल्हार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स मैसर्स दिल्ली 6 चिकन कॉर्नर अहिंसा सर्किल के पास, बाड़मेर शहर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री मुस्तकीम उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डर का विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो दो घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक [illegible] प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आई[illegible]) [illegible] जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:32:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	482461	IOCL	20.500 Kg	15.800 Kg	04.700 Kg
2.	861333	IOCl	18.900 Kg	15.600 Kg	03.300 Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 2 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी वितरक के मालिक श्री गौतमचन्द पुत्र श्री पारसमल, जाति जैन निवासी बाड़मेर शहर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब मे प्रस्तुत किया कि मैने ठेले पर घरेलु उपयोग के लिए गैस सिलेण्डर रखा था जिसे घर ले जाने मे किए उपयुक्त साधान नहीं होने के कारण मेरे द्वारा उक्त सिलेण्डर अपने ठेले पर रखे थे। अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:32:17 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स थार गैस एजेन्सी, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा जवाब मे प्रस्तुत किया कि मैने ठेले पर घरेलु उपयोग के लिए गैस सिलेण्डर रखा था जिसे घर ले जाने मे किए उपयुक्त साधान नहीं होने के कारण मेरे द्वारा उक्त सिलेण्डर अपने ठेले पर रखे थे। अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करावे। जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त दो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 29.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:32:17 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर